

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

बाराबंकी

पत्रांक सीएफओ-बीबीके/पी-12/2016
सेवा में,

दिनांक: नवम्बर 26, 20

जिला मजिस्ट्रेट,
बाराबंकी।

विषय: मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय के द्वारा ग्राम-भीखर तहसील-रामसनेही घाट, जनपद-बाराबंकी के गाटा सं० 179, असन्द्रा से रामसनेही घाट रोड पर कि. स्टोन संख्या 8 से 327 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट, पेट्रोल (MS) एवं डीजल (HSD) विक्रय हेतु अग्निशमन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर के पत्रसंख्या: NRO. BHIKHARPUR Dated: 08-2016 पर आपका पृष्ठांकन आदेश दि०: 14.10.2016

उपरोक्त विषय व सन्दर्भ में मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर के पत्र संख्या LOI. BHIKHARPUR/703/300005381/4 Dated: 08.10.2016 द्वारा डीलरशिप श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० हरिकरन सिंह, ग्राम-सरसा राठौर, पोस्ट-भीखरपुर, तहसील-रामसनेही घाट, जनपद-बाराबंकी उ०प्र० के नाम दि जाने का प्रस्ताव ग्राम-भीखरपुर, तहसील-रामसनेही घाट, जनपद-बाराबंकी के गाटा सं० 179, असन्द्रा से रामसनेही घाट रोड पर कि.मी. स्टोन संख्या 8 से 327 मीटर की दूरी पर रिटेल आउटलेट, पेट्रोल (MS) एवं डीजल (HSD) विक्रय हेतु स्थल प्रस्तावित है।

उपरोक्त सन्दर्भित विषय में मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्रेषित मानचित्र के अनुरूप प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा एवं पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 तथा OISD-225 के मान के अनुरूप मेरे आदेशानुसार श्री ए०के० सिंह अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी द्वारा स्थलीय निरीक्षण/परीक्षण कि गया तो अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी की आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

- 1- निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल खाली पाया गया जो असन्द्रा से रामसनेही घाट रोड पर प्रस्तावित है, ज पर अग्निशमन के सभी वाहन आसानी से पहुँचकर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
- 2- प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन की भूमि का क्षेत्रफल 1400.00 वर्गमीटर है।
- 3- 20 के० एल० क्षमता के एक अदद हाई स्पीड डीजल भूमिगत टैंक तथा 15 के०एल० क्षमता का एक अदद पेट्रोल भूमिगत टैंक प्रस्तावित है।
- 4- दोनों टैंक के मध्य 4 मी० ऊँचाई के अलग-अलग दो वेन्ट पाइप प्रस्तावित है।
- 5- भूमिगत टैंक एवं वाउण्ड्रीवाल के मध्य 1.5 मी० की जगह छोड़ा जाना प्रस्तावित है।
- 6- निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाइन नहीं गुजरी पायी गयी।
- 7- पेट्रोल फिलिंग स्टेशन में प्रवेश एवं निकास हेतु 14.00 मी० चौड़ाई के दो अदद गेट प्रस्तावित है।
- 8- मार्ग एवं पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के मध्य 12.00 मी० लम्बी एवं 3.00 मी० चौड़ी बफर स्ट्रिप का प्राविधान कि जाना प्रस्तावित है।
- 9- प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल के आस पास किसी ज्वलनशील पदार्थों का रख-रखाव/भण्डारण/दुकान आदि ना पाया गया।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

- 1- सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई०एस०-2148-1646 व आई०एस०-5572 के मानकों के अनुरूप किया जाय तथा कि वायरिंग में ई०एल०सी०बी०/एम०सी०बी० का प्रयोग किया जाये।
- 2- प्रत्येक टैंक के लिए अलग-अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाए जो आपस में जुडी नहीं होना चाहि एवं ऊँचाई 4 मी० होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 4 मी० में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
- 3- वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 एवं OISD-225 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
- 4- टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित होगा।
- 5- लारी/तेल टैंकर से तेल ड्रेन करते समय उसकी अर्थिंग किया जाना अति आवश्यक होगा।

C. B. O.
B.B.K.

क्रमशः पेज संख्या....2 प

